संचालनालय,पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / NPS / Online_PRAN / 2016 / 1410 भोपाल दिनांक 2/9/16

प्रति,

समस्त,

कोषालय / उपकोषालय अधिकारी,

(म प्र)

विषय NPS अभिदताओ हेतु Online PRAN Generation की नवीन व्यवस्था |

एकीकृत कोषालयीन कंप्यूटराईजेशन परियोजना अंतर्गत संचालित C-SFMS में NPS अभिदताओ के PRAN आवंटन हेतु वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01/08/2016 से Online PRAN Generation की नवीन व्यवस्था लागू की गई है | नवीन व्यवस्था अंतर्गत Online PRAN Generation की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

1) Online PRAN Generation हेतु नवीन CSRF-1 (Common Subscriber Registration Form) व्दारा NPS अभिदताओ का पंजीयन :

- समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियो व्दारा C-SFMS अंतर्गत प्रदायित SLIM login के माध्यम से **CSRF-1 (जो की पूर्व में S1 के नाम से प्रचलित था)** फॉर्म में NPS अभिदताओ की व्यक्तिगत जानकारी की प्रविष्ठि एवं सबंधित के फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने की कार्यवाही Annexure-A अनुसार की जावेगी |
- SLIM पर उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी CSRF-1फॉर्म को दो प्रतियों में प्रिंट कर यथा स्थान अभिदाता के हस्ताक्षर व फोटो चस्पाकर अभिप्रमाणन पश्चात् सम्बंधित कोषालय/उपकोषालय में प्रस्तुत करेंगे |
- उपकोषालय अधिकारी व्दारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से हार्ड कापी में प्राप्त CSRF-1 फॉर्म को Annexure-B अनुसार Online Approval करते हुए सत्यापन व CRA-FC को प्रेषण हेतु कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा |
- कोषालय अधिकारी व्दारा कोषालय से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियो एवं उपकोषालय अधिकारी से प्राप्त CSRF-1 फॉर्म में उपलब्ध जानकारी के आधार पर फॉर्म को अभिप्रमाणित किया जावेगा साथ ही कोषालय से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियो से हार्ड कापी में प्राप्त CSRF-1 फॉर्म C-SFMS में Annexure-B अनुसार Online Approval की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी | तत्पश्चात कोषालय अधिकारी व्दारा क्रमांक 2

पेंशन, संचालनालय, 26 किसान भवन, मंडी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल | दूरभाष कमांक– 2676035–2676032 फैक्स कमांक– 2576625

Scanned by CamScanner

में डी गई प्रक्रिया अनुसार CSRF-1 को CRA-FC को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी |

- कोषालय/उपकोषालय अधिकारी के Online Approval पश्चात् ही Online Data संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा को उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर Online PRAN Generation की कार्यवाही संचालनालय स्तर से संपादित की जावेगी | **Online PRAN Generation पश्चात् अभिदाता के पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से PRAN Generation की जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी |**
- कोषालय/उपकोषालय अधिकारी के Online Approval पश्चात् सबंधित अभिदाता का PRAN C-SFMS में उपलब्ध कराया जावेगा |
- कोषालय/उपकोषालय अधिकारी व्दारा C-SFMS अंतर्गत NPS Master में उपलब्ध PRAN के आधार पर Employee कोड तथा PRAN Mapping की कार्यवाही की जावेगी |
- C-SFMS में Employee कोड, PRAN से Mapped होने के पश्चात ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी व्दारा सम्बंधित अभिदाता के वेतन आहरण की कार्यवाही SLIM के माध्यम से की जावेगी | **वेतन आहरण हेतु PRAN Kit की प्रतिबद्धता नहीं होगी |**

2) Online PRAN Generation पश्चात् CSRF-1 (Common Subscriber Registration Form) का CRA-FC को प्रेषण :

- प्रत्येक माह में Generate किये गए PRANs से सबंधित CSRF-1 की एक प्रति कोषालय अधिकारी व्दारा एक साथ (Single Lot) अगले माह की अंतिम तिथि तक अपने नजदीकी CRA-FC को प्रेषित की जावेगी | उदाहरणस्वरूप सितम्बर माह में Generate किये गए PRANs 31 अक्टूबर तक CRA-FC को प्रेषित किये जाने होंगे | CSRF-1 प्रेषित किये जाने हेतु CRA-FC की सूची निम्नानुसार है :

S No	CRA-FC City	CRA FC Address
1	Bhopal	Karvy Data Management Services Ltd, Plot No 2Mahaveer Avenue,Zone 1M.P. Nagar,Front of HDFC Bank
2	Bhopal	Integrated Enterprises (India) Ltd,FM 14 C Blk,1 Flr Manasarover CompNear Habibganj Railway Stn.,Habibganj Station Road,
3	Bhopal	Alankit Limited, S-2&3Shrishti Complex206 Zone-1,Mp Nagar
4	Indore	Karvy Data Management Services Ltd, 204-205Balaji corporate,Above ICICI bankJanjeerwala Chouraha
5	Indore	Alankit Limited,109 -A ,Vidhyapati17 Race course Road
6	Indore	Religare Securities limited,G-3 Yeshwant Plaza79 South Tukoganj Railways Station Road
7	Jabalpur	Karvy Data Management Services Ltd,43Naya Bazar 1st floor,Opp Shyam Takis Malviya Chowk
8	Jabalpur	Alankit Limited,2284,IN FRONT OF SRIRAM MARBLE,NEAR LIC DIVISIONAL OFFICENAGPUR ROAD,MADAN MAHAL

Scanned by CamScanner

- कोषालय अधिकारी अभिप्रमाणित CSRF-1 की दूसरी प्रति भविष्य में सन्दर्भ हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी संबंधित अभिदाता की सेवा पुस्तिका में सुरक्षित रखने हेतु प्रेषित करेगा |
- कोषालय अधिकारी NSDL व्दारा प्रदायित Login के माध्यम से www.cra-nsdl.com पर लॉग इन कर 'S1 Form Submission Details' से माह में generate किये गए PRANs की सूची प्राप्त करने हेतु Request Submit करेगें | **यंहा यह उल्लेखनीय है कि नवीन CSRF-1 के विकसित हो जाने के पश्चात् भी NSDL-CRA तथा C-SFMS पर CSRF-1 के स्थान पर S1 दर्शाया जा रहा है |**
- तत्पश्चात प्रत्येक PRAN हेतु एक 'Unique Order Number' NSDL-CRA व्दारा Generate किया जावेगा | जिसे कोषालय व्दारा प्रिंट किया जा सकेगा |
- कोषालय अधिकारी 'Unique Order Number' के अनुसार CSRF-1 को व्यवस्थित करेगें |
- कोषालय अधिकारी माह में Generate किए गए PRAN की सूची (दो प्रति में) अनुसार CSRF-1 अपने निकटतम CRA-FC में जमा करेंगे |
- CRA-FC पर CSRF-1 जमा करने के पूर्व कोषालय अधिकारी को संलग्न सूची में यह प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि Online PRAN Generation हेतु इंद्राज की गई जानकारी तथा संलग्न CSRF-1 पर उपलब्ध जानकारी में कोई भिन्नता नही है तथा चाही गई समस्त जानकारी की पूर्णता की गई है |
- CRA-FC संलग्न सूची में अंकित 'Unique Order Number' अनुसार CSRF-1 की संख्या को सत्यापित करेंगे तथा सूची की व्दितीय प्रति में Acknowledgement प्रदान करेगें | **किसी भी तरह की असमानता की स्थिति में CRA-FC व्दारा संपूर्ण Lot ही अस्वीकार कर दिया जावेगा |**
- **CRA-FC फार्म की पूर्णता की जाँच नही करेगा | यह जवाबदारी कोषालय अधिकारी की होगी कि वह फॉर्म CRA-FC में जमा करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फॉर्म में चाही गई समस्त जानकारी की पूर्णता कर ली गई है |**

3) Non IRA से IRA Conversion हेतु CSRF-1(S1) का प्रेषण :

- Non IRA PRAN को IRA PRAN में conversion हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी नवीन CSRF-1(Common Subscriber Registration Form) जो की संचालनालय की वेब साईट www.pension.mp.gov.in पर उपलब्ध है, को Download कर CSRF-1 में सबंधित अभिदाता की समस्त आवश्यक जानकारी की पूर्ति एवं यथा स्थान अभिदाता के फोटो व हस्ताक्षर करवा कर सत्यापन पश्चात् वांछित दस्तावेज सहित कोषालय अधिकारी को प्रेषित करेंगे |

Scanned by CamScanner

संचालनालय,पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

- कोषालय अधिकारी CSRF-1 पर उपलब्ध जानकारी को संलग्न दस्तावेज के आधार पर सत्यापित कर इसे (हार्ड कॉपी) संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा को प्रेषित करेंगे |
- संचालनालय स्तर पर CSRF-1 प्राप्ति के पश्चात् Non IRA PRAN को IRA PRAN में conversion की कार्यवाही संपादित की जावेगी |

कोषालय अधिकारी अपने स्तर से समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियो को उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत कराना सुनिश्चित करें |

%c संचालक 21/9/16
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
भोपाल म प्र

पृ क्रमांक / NPS / Online_PRAN / 2016 / 1411 भोपाल दिनांक 21/9/16

प्रतिलिपि :

1) सचिव वित्त म प्र शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ |
2) आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल की ओर सूचनार्थ |
3) संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल,इंदौर,जबलपुर,सागर,रीवा,उज्जैन एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ |

%c संचालक 21/9/16
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
भोपाल म प्र

Scanned by CamScanner

ANNEXURE - A

1) आहरण एवं संवितरण अधिकारी व्दारा SLIM लोगिन पर CSRF-1 की पविष्टी |

2) Menu Navigation : Start -> Employee -> Employee S1 Form

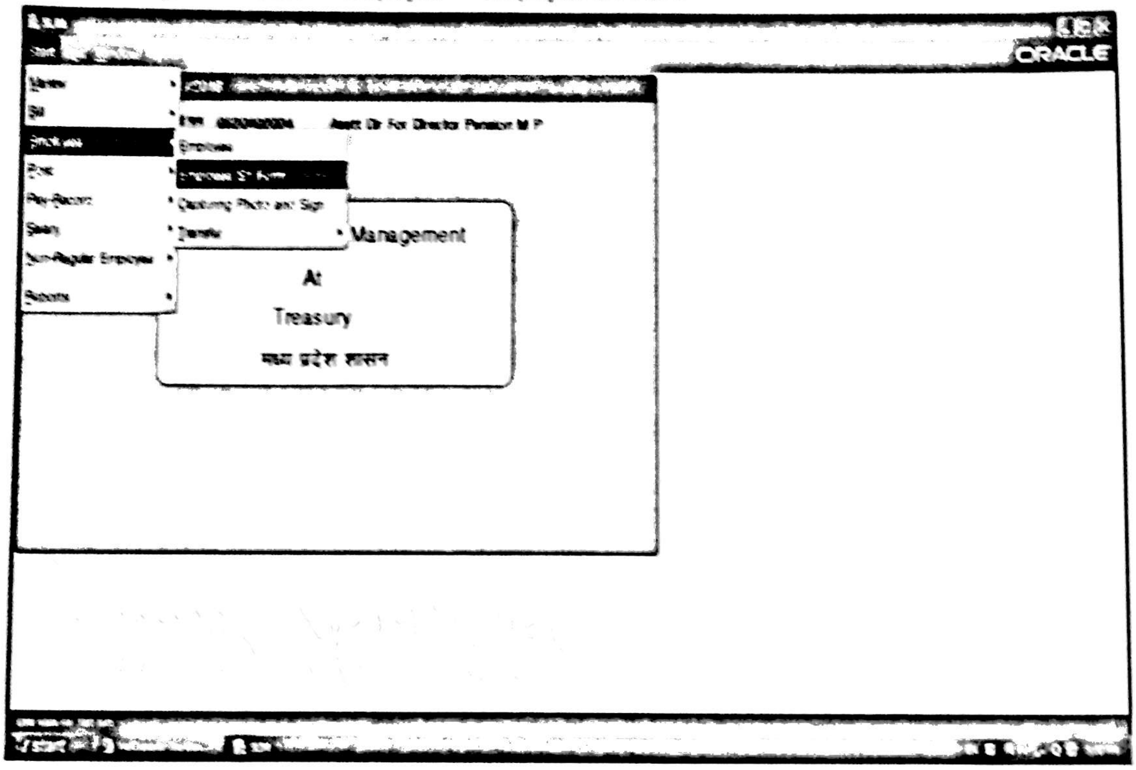

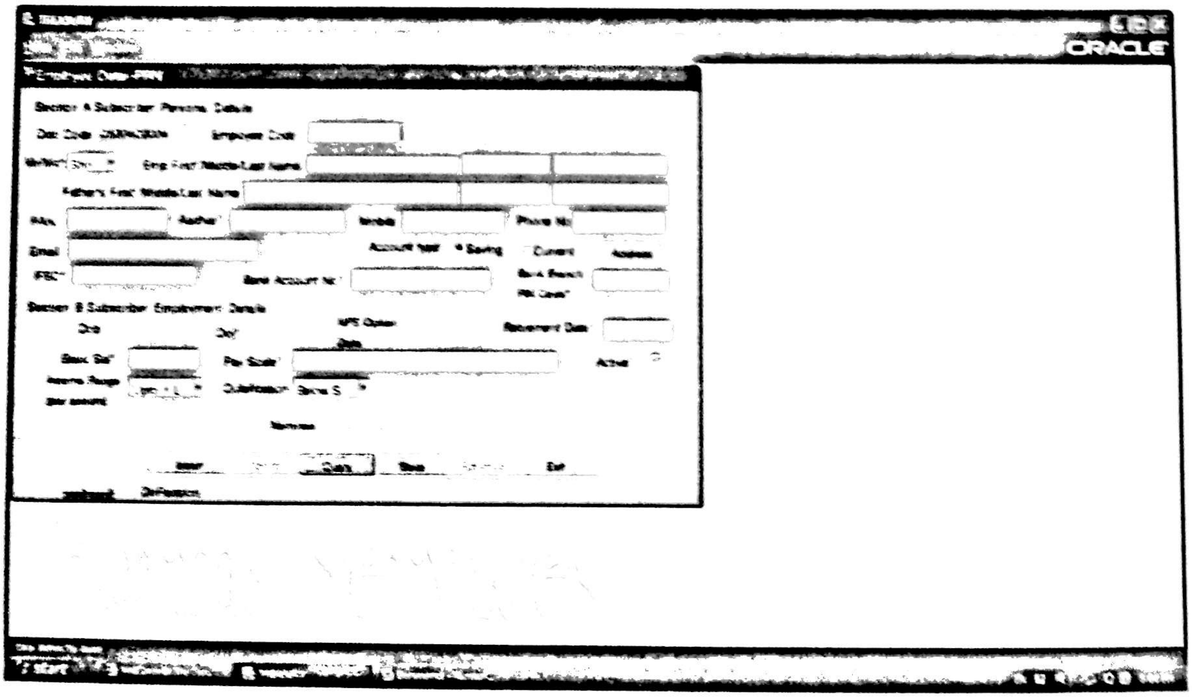

Scanned by CamScanner

3) उपरोक्तानुसार जानकारी इन्द्राज करते हुए Nominee Tab पर Click कर Nominee डिटेल इंद्राज करे |

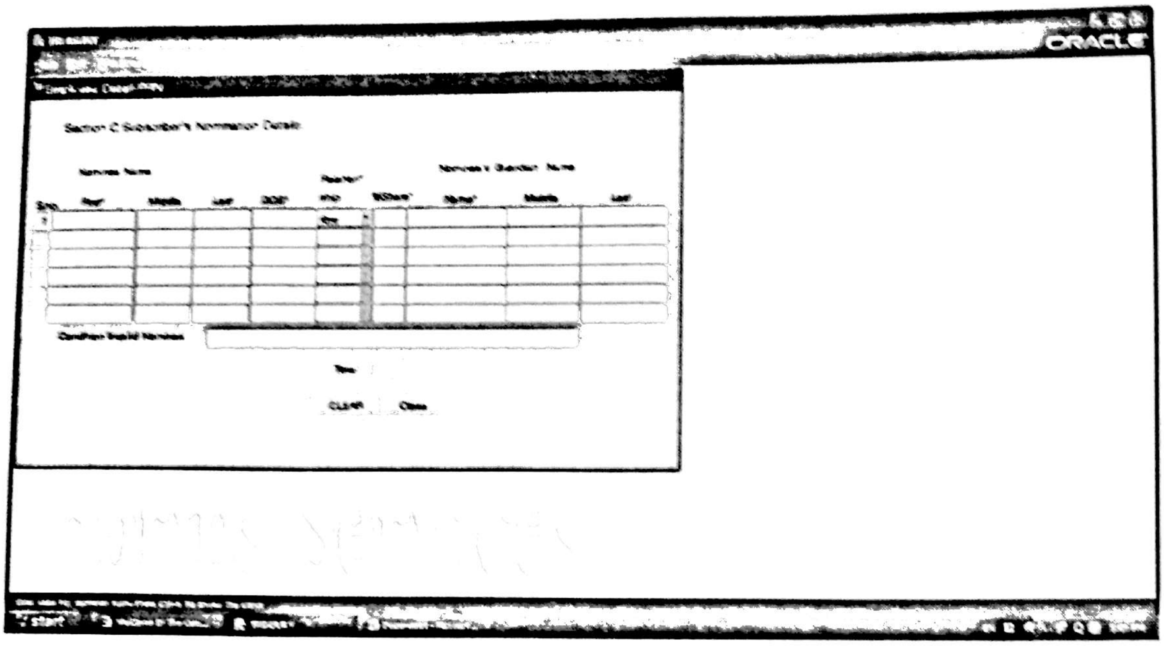

4) इसके पश्चात अभिदाता के photo व signature upload करे |

5) photo व signature upload करने हेतु अभिदाता के photo व signature स्कैन करे | स्कैन किये गए photo का साइज़ 12 KB से अधिक नही होना चाहिए |

6) स्कैन photo व signature JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए |

7) photo व signature एम्प्लोयी कोड के नाम से सुरक्षित होनी चाहिए अर्थात यदि आप एम्प्लोयी कोड 190010893 के लिए CSFR-1 फॉर्म generate कर रहे है तो photo का नाम 190010893_photo.jpg तथा signature का नाम 190010893_sign.jpg होगा |

8) Menu Navigation : Start -> Employee -> Capture photo and sign

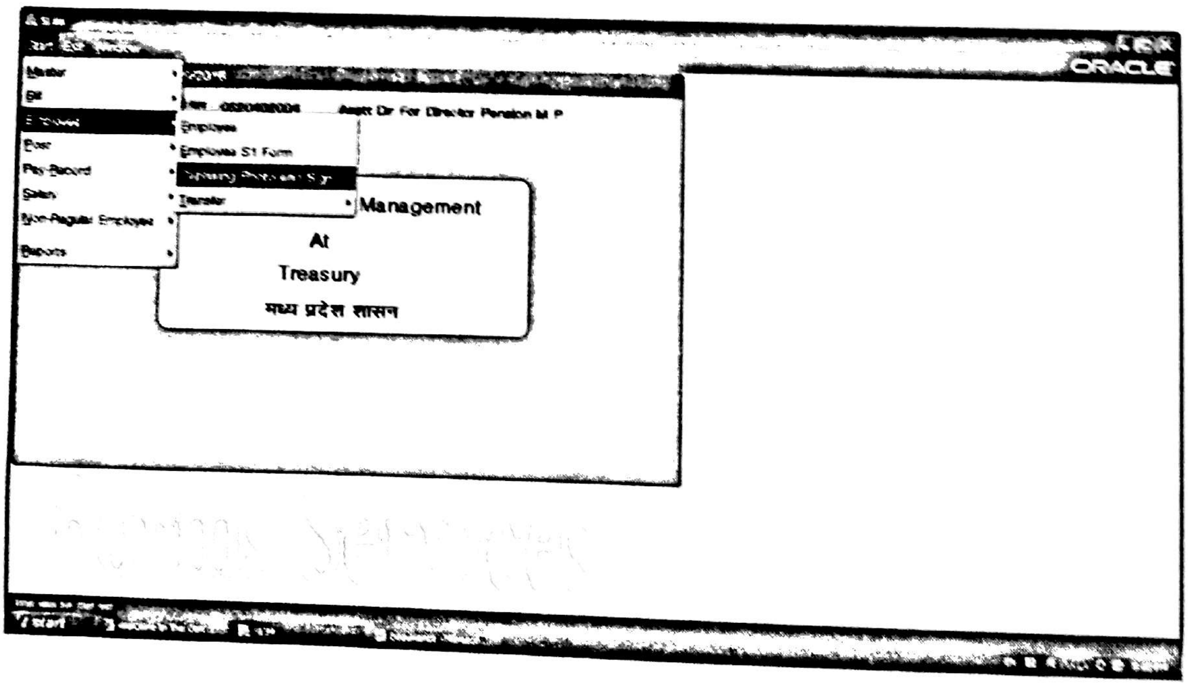

Scanned by CamScanner

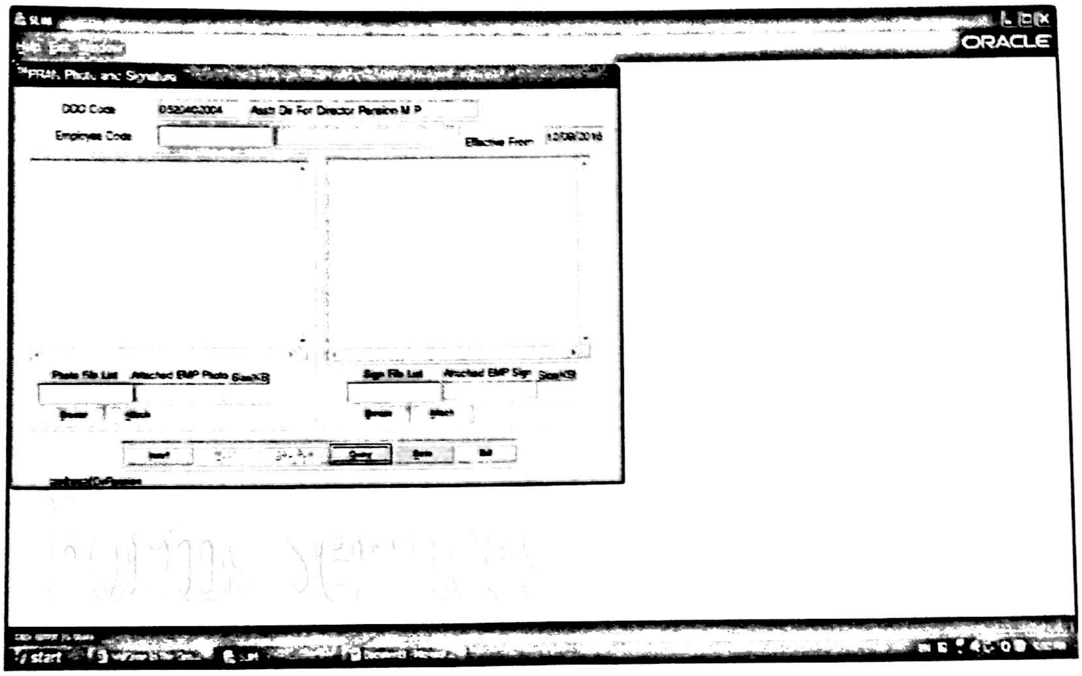

9) photo और signature upload करने की पश्चात डाटा Save करे |

10) सबंधित अभिदाता का CSRF-1(S1) Generate कर Print करे |

11) **Menu Navigation : Start -> Report -> NPS -> Employee S1 Report**

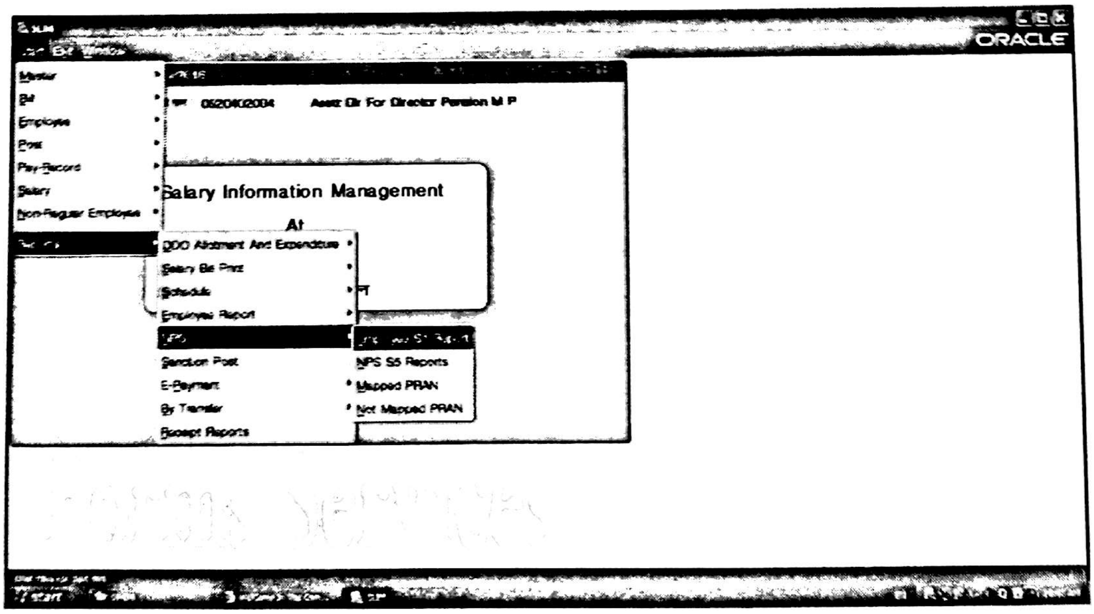

Scanned by CamScanner

Annexure B

1) कोषालय अधिकारी C-SFMS में CSRF-1(S1) का अनुमोदन करेंगे |

2) Menu Navigation : Database/Salary -> Employee NPS S1 Form

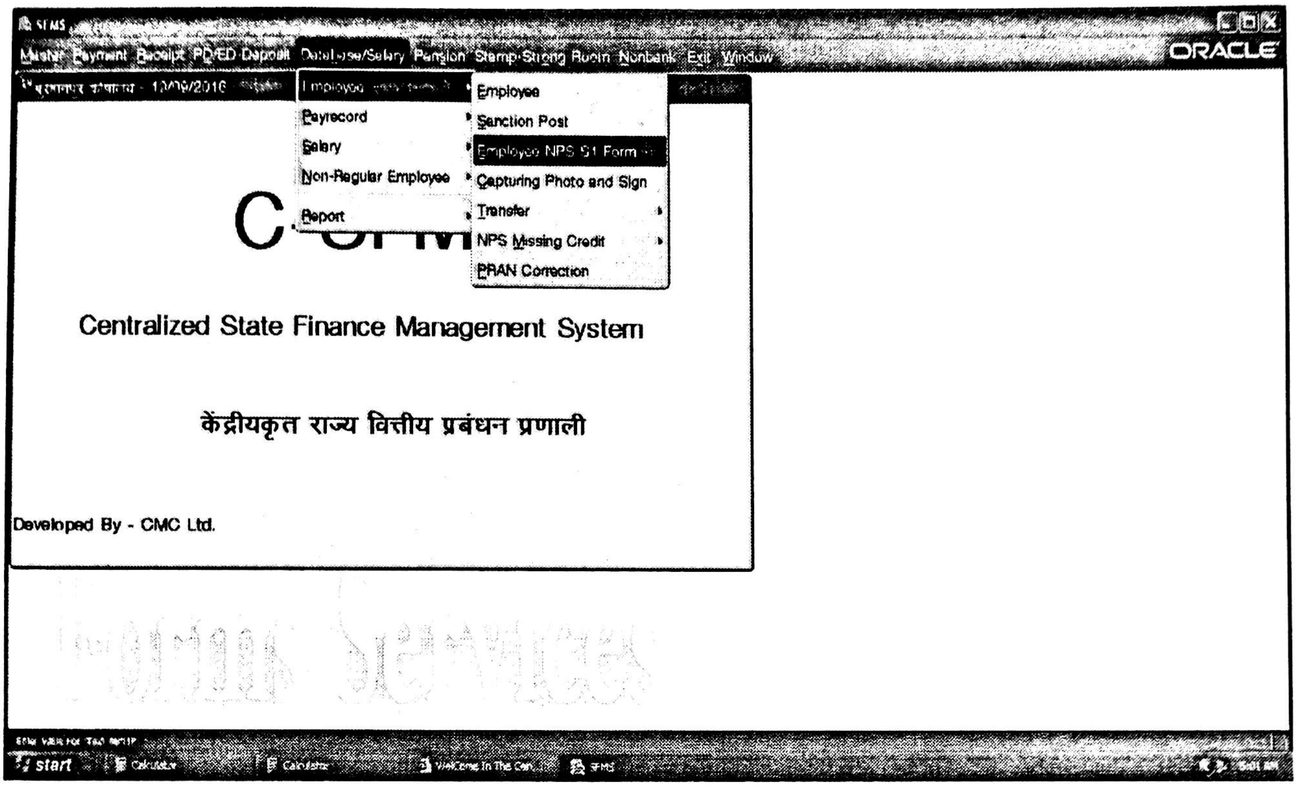

3) कोषालय अधिकारी डी डी ओ कोड एवं एम्प्लोई कोड के आधार पर CSRF-1(S1) Approve करेंगे |

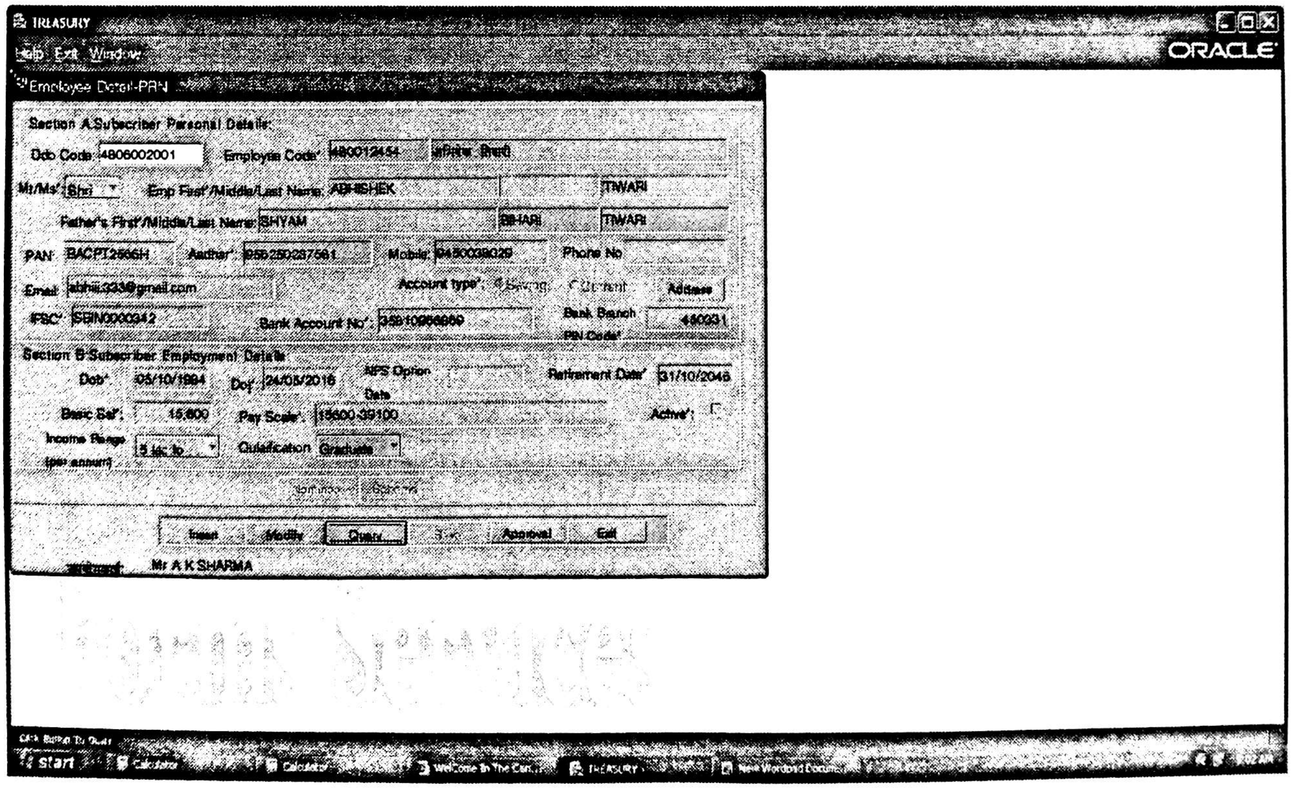

Scanned by CamScanner